

[1]

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 172/2024  
(जीसीएमएस संख्या 2024/167)

निर्णय दिनांक:- 18-9-25

1. रामचन्द्र पुत्र पुराराम जाति जाट उम्र 57 वर्ष निवासी लिखमीसर उत्तरादा जरिये मु. आम गिरधारी जाखड़ पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी लिखमीसर उत्तरादा तहसील श्रीडुंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

—रेस्पोंडेन्ट



अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 24-11-1999  
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री पुरुषोत्तम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 24-11-1999 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

  
राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के द्वारा चक 5 एन.जी.एम. के मुरब्बा नम्बर 72/20 तादादी 25 बीघा मुरब्बा नम्बर 72/38 की 25 बीघा कुल 50 बीघा भूमि के बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। तथा उसके पश्चात प्रार्थी/अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी बावजूद सूचना के प्रार्थी द्वारा उपस्थित आते हुए आवंटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं आने के कारण आवंटन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

उन्होंने आगे कथन करते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को मुरब्बा नम्बर 72/38 का आवंटन दिनांक 15-07-1995 को किया गया था तथा मुरब्बा नम्बर 72/20 का आवंटन दिनांक 18-09-1995 को किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अचानक बिना अपीलांट को सूचित किये दिनांक 24-11-1999 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए पत्रावली को पेशी में दिखाकर अपीलांट के 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाने के कारण अपीलांट को आवंटित भूमि मुरब्बा नम्बर 72/38 का आवंटन जो दिनांक 15-07-1995 को किया गया था उसे खारिज कर दिया। तथा जो आवंटन आदेश मुरब्बा नम्बर 72/20 के संबंध में जारी किया गया था उसका कोई हवाला नहीं दिया गया।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई थी। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2015 स्प.पेज 443 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।



राजस्थान अपील अधिकारी  
बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते हैं। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोजेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।



राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर

प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 5 एन.जी.एम. के मुरब्बा नम्बर 72/20 तादादी 25 बीघा मुरब्बा नम्बर 72/38 की 25 बीघा कुल 50 बीघा भूमि के विशेष आवंटन हेतु आवेदन किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15-07-1995 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसे 23 बीघा 10 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था तथा अपीलांट के नाम चालान जारी करने के आदेश दिये थे। इसी प्रकार मुरब्बा नम्बर 72/20 की 25 बीघा भूमि के आवंटन के लिए अपीलांट व एक अन्य व्यक्ति का आवेदन प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त मुरब्बा नम्बर 72/20 के लिए पात्र मानते हुए 24 बीघा 10 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 18-09-1995 को किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 24-11-1999 द्वारा अपीलांट के उक्त आवंटन मुरब्बा नम्बर 72/38 की 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाने के कारण खारिज कर दिया परन्तु मुरब्बा नम्बर 72/20 की 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि का जो आवंटन किया था उसका हवाला उक्त आदेशिका में नहीं है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि जो नोटिस अपीलांट को जारी किये गये थे उनकी मूल प्रतियाँ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ही उपलब्ध है तथा उन पर किसी प्रकार की तामील की सूचना उपलब्ध नहीं है। इससे यह तथ्य उभरकर आते हैं कि अपीलांट को नोटिस की तामील नहीं हुई है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2017 पेज 209 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसके अभिलिखित है कि:-



**Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in IGNP Area) Rules, 1975 - R-23(2) Asstt. Commissioner allotted land and cost to be deposited by allottee- Allotment cancelled for non payment- Appellate Court rejected appeal of allottee - Revision before boar – Held - Land still vacant - Allottee could not deposit amount as no notice was received by him - In the interest of justice llotment regularized if allottee deposits cost with interest - Revision allowed on condition.**

*[Signature]*  
राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर

7. अतः उक्त नियम के प्रकाश में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ मुकाम बीकानेर का आदेश दिनांक 24-11-1999 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादगत् भूमि अन्य को आवंटित नहीं होने पर अथवा अन्य किसी कार्य के लिए आरक्षित नहीं हो तथा अपीलांट दो माह के भीतर समस्त बकाया राशि जमा करवा दे ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।



8.

निर्णय आज दिनांक 18-9-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)

राजस्व अपील प्राधिकारी  
राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर